

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii)]

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Direct Taxes

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2014

S.O. ___(E).- In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'West Bengal Building and Other Construction Workers Welfare Board', a body constituted by the Government of West Bengal in respect of the following specified income arising to that body, namely:-

- (a) cess collected under the Building and Other construction Workers Welfare Cess Act, 1996 (28 of 1996) and the rules there under;
- (b) registration fees and yearly subscription collected from construction workers registered with the Board as beneficiaries;
- (c) amount received in the form of grants-in-aid and loan from Government;
- (d) interest income received from investment.

2. This notification shall be applicable for the financial years 2011-2012 to 2015-2016.

3. The notification shall be subject to the conditions that the West Bengal Building and Other Construction Workers Welfare Board:-

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) its activities and the nature of the specified income remain unchanged throughout the financial year; and
- (c) files return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) section 139 of the said Act.

[Notification No. 89/2014/F.No. 196/17/2012-ITA.I]



(Deepshikha Sharma)
Director to the Govt. of India

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri,
New Delhi.

Ms. Kella
✓

[भारत के राजपत्र के, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 23 दिसम्बर, 2014

अधिसूचना

का.आ.....(अ) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, वेस्ट बंगाल बिल्डिंग एंड अदर्स कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड; पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित एक निकाय, को, उक्त निकाय को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात:-

- (क) भवन तथा अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत संगृहीत उपकर;
- (ख) लाभार्थियों के रूप में बोर्ड के पास पंजीकृत निर्माण कामगारों से वसूल किए गए पंजीकरण शुल्क और वार्षिक अभिदान;
- (ग) सरकार से सहायता अनुदान और ऋण के रूप में प्राप्त राशि;
- (घ) निवेश से प्राप्त ब्याज आय।

2. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक के लिए लागू होगी।

3. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि पश्चिम बंगाल भवन और अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड (वेस्ट बंगाल बिल्डिंग एंड अदर्स कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स से वेलफेयर बोर्ड)

- (क) कोई वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं करेगा;
- (ख) इसके कार्यकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरूप संपूर्ण वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तनीय रहते हैं; और
- (ग) अपनी आय की विवरणी उक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के उपबंध के अनुसार दायर करता है।

[अधिसूचना संख्या89...../2014 फा.सं. 196/17/2012-आयकर नि-।]

दीपशिखा

(दीपशिखा शर्मा)

निदेशक, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

(राजौरी गार्डन के समीप), नई दिल्ली।